UPVR010056102026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी प्रथम वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी-कुलदीप सिंह-II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1856 सन् 2026

गौतम उर्फ इन्द्रजीत तिवारी पुत्र विजयकांत तिवारी निवासी मकान नंबर 790 स्ट्रीट नंबर 3 वार्ड नंबर 7 न्यू पुनीत नगर ताजपुर रोड बस्ती जोधेवाल, पो० बस्ती जोधेवाल, थाना तिब्बा रोड, जनपद लुधियाना पंजाब-141007

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र०

.....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-54/2026
अंतर्गत धारा-137(2),87 बी.एन.एस.
थाना-बड़ालालपुर/पाण्डेयपुर, वाराणसी।

<u>आदेश</u>

1- आवेदक/अभियुक्त गौतम उर्फ इन्द्रजीत तिवारी पुत्र विजयकांत तिवारी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न ही न्यायालय श्रीमान् जी में और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और न ही किसी अन्य उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को फंसाकर भविष्य बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त को थाना बड़ालालपुर पाण्डेयपुर की पुलिस गिरफ्तार करने हेतु बराबर प्रयास कर रही है और घर पर गिरफ्तारी हेतु बराबर प्रयास कर रही है। आवेदक/अभियुक्त को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3- अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त पर गंभीर आरोप है तथा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

4. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसके द्वारा दिनांक 21.02.2026 को सुबह 8.00 बजे वादी की 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगाया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 06.04.2011 है। जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग है। वादी मुकदमा द्वारा अपने 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में यह

Digitally signed by Kuldeep Singh II
Date: 2026.06.23 13:43:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथ्य आया है कि उसके घरवाले पढ़ाई करने के लिए हमेशा डाटते थे तथा मोबाइल चलाने के लिए मना करते थे। इसलिए वह घर पर बिना किसी को बताये गुस्से में कैण्ट रेलवे स्टेशन चली गयी तथा ट्रेन पकड़कर लुधियाना चली गयी। जबकि पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में यह तथ्य आया है कि वह गौतम को 2024 से इस्टाग्राम के माध्यम से जानती है। वह गौतम के साथ लुधियाना गयी थी। उन दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना है। वह अपनी मर्जी से रामनगर गयी थी तथा उसने ही गौतम को रामनगर बुलाया था तथा उसके कहने पर गौतम उसे अपने साथ ले गया था। गौतम उसे जबरदस्ती लुधियाना नहीं ले गया था। केस डायरी के पर्चा सं. 9 में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 87 बी.एन.एस को विलोपित करने व धारा 137(2) मे विवेचना प्रचलित किये जाने का उल्लेख किया गया है। थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 16.06.2026 के मद संख्या 13 व 16 में उल्लिखित है कि आवेदक/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा 137(2)बी.एन.एस. के तहत वांछित अभियुक्त है। मामला अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है व प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है।

5. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. आवेदक/अभियुक्त गौतम उर्फ इन्द्रजीत तिवारी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1856/2026 मु.अ.सं.-54/2026 के मामले में मु० 50,000/- रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर स्वीकार किया जाता है। संबंधित थाना सूचित हो।

आवेदक/अभियुक्त इस आशय का भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे कि-

i. आवेदक/अभियुक्त विवेचना में पुलिस को सहयोग प्रदान करेगा व पुलिस के बुलाने पर उनके समक्ष पूछताछ हेतु उपस्थित होगा।

ii. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी, वचन या लालच ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ हो जिससे कि उसे न्यायालय के समक्ष या पुलिस अधिकारियों के समक्ष सही तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके।

दिनांक-23.06.2026

(कुलदीप सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
द्रुतगामी प्रथम, वाराणसी।

अमन कुमार चौहान(आशुलिपिक)

जे.ओ कोड-यू.पी 1818